सत्यमेव जयते

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

(एमपीईडीए नियम, 1972 का नियम 34(3))

प्रपत्र VII

भंडारगृह का पंजीकरण प्रमाणपत्र

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

(Rule 34(3) of MPEDA Rules, 1972)

FORM VII

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF STORAGE PREMISES

1.	पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख Number and Date of Certificate of Registration	:	**GU1/SP/094/19** 28/05/2019
2.	वैधता / Valid upto	:	**11/04/2026**
3.	श्रेणी / Category	:	Independent
4.	पंजीकृत भंडार गृह का नाम और पता Name and Address of Registered Storage Premises	:	**PRIME BIO PROTEINS** G.I.D.C., , PLOT NO.610/1, VERAVAL-362269 362269 District: JUNAGADH State: GUJARAT
5.	भंडारण का प्रकार और क्षमता Type of Storage and Capacity	:	Dry:400MT,

Digitally signed by SHESHENDRA MADHUKAR SHIRODKAR
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9179, pseudonym=04407ad113814e58ba3116c2c37b6d3, 2.5.4.20=6ca7d6c0938de44b882cd243f7876 64cb5eb9353230a4f679ba73e8eb906ae7e8, postalCode=401301, st=Maharashtra, serialNumber=604f1 9b7241 0cf3c0b2aa75ff 7b2f657c83e1e6748977743018698 42f20cce da, cn=SHESHENDRA MADHUKAR SHIRODKAR
Date: 2024.04.17 15:25:25 +05'30'

(डिजिटल हस्ताक्षर /Digital Signature)
SHESHENDRA M.SHIRODKAR
Assistant Director (ROS)

स्थान / Place: Regional Division Veraval
दिनांक / Date: 17/04/2024

(प्राधिकरण की मुहर)

यह प्रमाणपत्र एमपीईडीए अधिनियम और नियम 1972, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम 1963 और उसके बाद के नियमों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के प्रावधानों के अधीन जारी किया जाता है।

(Seal of the Authority)

This certificate is issued subject to the provisions of the MPEDA Act and Rules 1972, the Export (Quality Control Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions prescribed by the Authority from time to time.

मुख्यालय,एमपीईडीए हाउस, पनम्पिल्ली नगर, कोच्ची-682 036 / Head Office: MPEDA House, Panampilly Nagar, Kochi 682 036
ईमेल/Email: ho@mpeda.gov.in फ़ोन/Phone: 91-484-2311901/2311803

भंडारगृह के पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें
CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION OF STORAGE PREMISES

1. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया जाता है।
This certificate of registration is granted subject to the provisions of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972.

2. नक्शा, डिजाइन या क्षमता या अन्य मामलों में कोई भी परिवर्तन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन लिया जाना चाहिए।
Any change in the lay-out, design or capacity or other matters should be got approved by the Authority.

3. सफाई और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा समय- समय पर इस संबंध में जारी किए गए नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
The sanitary and hygienic requirements should conform to the regulations issued in this behalf by the Export Inspection Agency and the Authority from time to time

4.समुद्री उत्पादों के परिरक्षण, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए मालिक को केवल अनुमोदित रसायनों का उपयोग करना चाहिए।
The owner should use only approved chemicals for preservation, processing and storage of marine products.

5.मालिक को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जानेवाले ऐसे अन्य निर्देशों का भी पालन करना होगा ।
The owner shall also comply with such other, instructions as may from time to time be issued by the Authority.

6.मालिक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को परिसर का दौरा और निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी ।
The owner shall permit officials authorized by competent authority to visit and inspect the premises.

7.प्रतिष्ठान के स्वामित्व में किए किसी भी परिवर्तन को ऐसे परिवर्तन से 30 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र में पृष्ठांकित करना होगा ।
Any change in the ownership of the establishment shall be endorsed in the certificatewithin 30 days from such change.

8.प्रमाणपत्र की प्रति प्रमुखता से प्रतिष्ठान में प्रदर्शित की जाएगी।
Copy of the certificate shall be prominently displayed in the establishment.

9.मालिक को पंजीकरण के इस प्रमाणपत्र को हर तीन साल में एक बार पुनर्वैधीकरण करवाना
The owner should get this certificate of registration revalidated every three years